

संचालनालय पशुपालन

मध्यप्रदेश, भोपाल

-:: आदेश ::-

क्रमांक 5542/स्था-अ/2015-16/ भोपाल, दिनांक 30/5/2015

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति वर्ष 2015-16 के तहत निम्नलिखित पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों को स्वयं के व्यय पर उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये स्थान पर स्थानान्तरित कर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

स.क्र.	अधिकारी का नाम एवं पद	वर्तमान पदस्थापना स्थान	उन स्थानों का नाम जहां स्थानान्तरण चाहा गया है	स्वयं/ प्रशा.
1	2	3	5	6
1.	डॉ. निरुपमा निगम	जिला कार्यालय अशोकनगर	विकासखण्ड फंदा जिला-भोपाल	स्वयं
2.	डॉ. कीर्ति ठाकरे,	पशु चिकित्सालय भैंसदेही जिला-बैतूल	पशु चिकित्सालय पारा जिला-बैतूल	स्वयं
3.	डॉ. अनुकूल पाटक	पशु चिकित्सालय बाजना जिला-डिण्डोरी	पशु चिकित्सालय माणिकपुर जिला-डिण्डोरी	स्थानीय
4.	डॉ. शशांक जुमडे	पशु चिकित्सालय रतलाम	जिला कार्यालय इन्दौर	स्वयं
5.	डॉ. प्रवीध उपाध्याय	पशु चिकित्सालय अम्बाह जिला-मुरैना	जिला-कार्यालय मुरैना	स्वयं
6.	डॉ. अशोक कुमार सिंह	पशु चिकित्सालय बुढार जिला-शहडोल	संचालनालय आदेश क्रमांक 5030/स्था-अ/ दिनांक 19.5.2015 द्वारा विकासखण्ड जैतहरी जिला-अनूपपुर किया गया स्थानान्तरण संशोधित कर पशु चिकित्सालय पटना जिला-अनूपपुर	स्वयं
7.	डॉ. पी.एन. मीणा	विकासखण्ड चांचौड़ा जिला-गुना	संचालनालय आदेश क्रमांक 5582/स्था-अ/ दिनांक 18.5.2015 द्वारा पशु चिकित्सालय झकनावदा जिला-झाबुआ किया गया स्थानान्तरण संशोधित कर पशु चिकित्सालय पचौर जिला-राजगढ़	स्वयं
8.	डॉ. बैजनाथ पटेल	पशु चिकित्सालय दमोह	संचालनालय आदेश क्रमांक 5030/स्था-अ/ दिनांक 19.5.2015 द्वारा जिला कार्यालय छतरपुर किया गया स्थानान्तरण संशोधित कर विकासखण्ड रेहली जिला-सागर	स्वयं
9.	डॉ. एन.के. तिवारी	पशु चिकित्सालय बैगमगंज जिला-रायसेन	संचालनालय आदेश क्रमांक 5030/स्था-अ/ दिनांक 19.5.2015 द्वारा पशु चिकित्सालय खुजनेर जिला-राजगढ़ किया गया स्थानान्तरण संशोधित कर पशु चिकित्सालय नटेरन जिला-विदिशा	स्वयं

स.क्र.	अधिकारी का नाम एवं पद	वर्तमान पदस्थापना स्थान	उन स्थानों का नाम जहां स्थानान्तरण चाहा गया है	स्वयं/ प्रशा.
1	2	3	5	6
10.	डॉ. राजमल मल्हौत्रा	पशु चिकित्सालय श्यामपुर जिला-सीहोर	संचालनालय आदेश क्रमांक 5030/स्था-अ/ दिनांक 19.5.2015 द्वारा पशु चिकित्सालय भोजपुर जिला-राजगढ़ किया गया स्थानान्तरण संशोधित कर पशु चिकित्सालय धामनोद जिला-धार	स्वयं
11.	डॉ. एस.के. शुक्ला	पशु चिकित्सालय पवई जिला-पन्ना	संचालनालय आदेश क्रमांक 5030/स्था-अ/ दिनांक 19.5.2015 द्वारा पशु चिकित्सालय जतारा जिला-टीकमगढ़ किया गया स्थानान्तरण संशोधित कर पशु चिकित्सालय रामपुर जिला-सीधी	स्वयं
12.	डॉ. ए.के. गुप्ता	पशु चिकित्सालय खुरई जिला-सागर	संचालनालय आदेश क्रमांक 5606/स्था-अ/ दिनांक 19.5.2015 द्वारा विकासखण्ड सुसनेर जिला-आगर मालवा किया गया स्थानान्तरण संशोधित कर पशु चिकित्सालय ग्यारसपुर जिला-विदिशा	स्वयं
13.	डॉ. यू.एस. माहेश्वरी	पशु चिकित्सा सेवायें देवास	संचालनालय आदेश क्रमांक 5606/स्था-अ/ दिनांक 19.5.2015 द्वारा पशु चिकित्सालय बिजौरनी जिला-शिवपुरी किया गया स्थानान्तरण संशोधित कर पशु चिकित्सालय जिला-आष्टा सीहोर	स्वयं
14.	डॉ. छत्रपाल तांडेकर	पशु चिकित्सालय प्रभातपट्टन जिला-बैतूल	संचालनालय आदेश क्रमांक 5604/स्था-अ/ दिनांक 19.5.2015 द्वारा विकासखण्ड सौसर जिला छिन्दवाड़ा संशोधित कर पशु चिकित्सालय छिन्दवाड़ा	स्वयं
15.	डॉ. संजय जाधव	पशु चिकित्सालय मुलताई जिला-बैतूल	संचालनालय आदेश क्रमांक 5030/स्था-अ/ दिनांक 19.5.2015 द्वारा पशु चिकित्सालय जिला-शिवपुरी किया गया स्थानान्तरण संशोधित कर बैहट जिला-ग्वालियर	स्वयं
16.	डॉ. एम.एस. तोमर	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र मोहगांव जिला-भिण्ड	संचालनालय आदेश क्रमांक 5030/स्था-अ/ दिनांक 19.5.2015 द्वारा पशु चिकित्सालय अशोकनगर किया गया स्थानान्तरण संशोधित कर रिठौराकलां जिला-मुरैना	स्वयं

स.क्र.	अधिकारी का नाम एवं पद	वर्तमान पदस्थापना स्थान	उन स्थानों का नाम जहां स्थानान्तरण चाहा गया है	स्वयं/ प्रशा.
1	2	3	5	6
17.	डॉ.ए.के.एस. भदौरिया	कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान भोपाल	संचालनालय आदेश क्रमांक 5028/स्था-अ/ दिनांक 19.5.2015 द्वारा पशु चिकित्सालय सिद्धीकगंज जिला सीहोर किया गया स्थानान्तरण निरस्त	स्वयं
18.	डॉ.श्यामकली पटेल	कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान भोपाल	संचालनालय आदेश क्रमांक 5028/स्था-अ/ दिनांक 19.5.2015 द्वारा जिला कार्यालय सीहोर किया गया स्थानान्तरण निरस्त	स्वयं
19.	डॉ. तेजिन्दर कौर	कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान भोपाल	संचालनालय आदेश क्रमांक 5028/स्था-अ/ दिनांक 19.5.2015 द्वारा माता महामारी इकाई खिलचीपुर जिला राजगढ़ किया गया स्थानान्तरण निरस्त	स्वयं
20.	डॉ. दिनेश पटेल	पशु चिकित्सालय अंजड़ जिला-बडवानी	संचालनालय आदेश क्रमांक 5030/स्था-अ/ दिनांक 19.5.2015 द्वारा पशु चिकित्सालय खालवा जिला-खण्डवा किया गया स्थानान्तरण निरस्त	स्वयं
21.	डॉ. पवन सिसोदिया	पशु चिकित्सालय सोनकच्छ जिला देवास	संचालनालय आदेश क्रमांक 5604/स्था-अ/ दिनांक 19.5.2015 द्वारा पशु चिकित्सालय इछावर, जिला सीहोर किया गया स्थानान्तरण निरस्त	-

वे अपना उपस्थिति प्रतिवेदन संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

टीप :- स्थानान्तरित कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-6-1/2015/एक/9, भोपाल दिनांक 15.4.2015 की कण्डिका-12,12(1), 12(2) में निहित प्रावधान अनुसार स्थानान्तरण आदेश में कार्यमुक्त करने की अवधि एक सप्ताह निर्धारित की गई है। यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एक तरफा कार्यमुक्त किया जा सकेगा। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि में स्थानान्तरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा, एवं कण्डिका-13 स्थानान्तरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात स्वीकृत किया जावेगा।

( डॉ. आर.के. शर्मा )

संचालक

पशुपालन म.प्र. भोपाल

8/4



क्रमांक 5543/स्था-अ/2015-16/ भोपाल,दिनांक 30/5/2015

प्रतिलिपि:-सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला.....म00प्र0।
4. संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ ..... म0प्र0।
5. उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ जिला.....म0प्र0।
6. संबंधित डॉ.....द्वारा उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ जिला.....म0प्र0।

संचालक

पशुपालन म.प्र. भोपाल

sh

संचालनालय पशुपालन

मध्यप्रदेश, भोपाल

--: आदेश :-

क्रमांक 5544...../स्था-अ/2015-16/ भोपाल,दिनांक 30/5/2015

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति वर्ष 2015-16 के तहत डॉ. रणजीत सिंह भदौरिया, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, विकासखण्ड फंदा जिला-भोपाल को प्रशासनिक आधार पर पशु चिकित्सालय बैरसिया जिला-भोपाल स्थानान्तरित कर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

वे अपना उपस्थिति प्रतिवेदन संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

टीप :- स्थानान्तरित कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-6-1/2015/एक/9, भोपाल दिनांक 15.4.2015 की कण्डिका 8.1 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों से गैर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानान्तरित शासकीय सेवकों तब तक भारमुक्त न किया जाये जब तक उनके स्थान एवजीदार द्वारा पदभार गृहण न कर लिया गया हो। यह शर्त एक अनुसूचित क्षेत्र से दूसरे अनुसूचित क्षेत्र में स्थानान्तरित अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी, एवं कण्डिका-12,12(1), 12(2) में निहित प्रावधान अनुसार स्थानान्तरण आदेश में कार्यमुक्त करने की अवधि एक सप्ताह निर्धारित की गई है। यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एक तरफा कार्यमुक्त किया जा सकेगा। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि में स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा, एवं कण्डिका-13 स्थानान्तरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात स्वीकृत किया जावेगा।

( डॉ. आर.के. रोकड़े )

संचालक

पशुपालन म.प्र. भोपाल

क्रमांक 5545...../स्था-अ/2015-16/ भोपाल,दिनांक 30/5/2015

प्रतिलिपि:-सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला भोपाल म00प्र0।
4. संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ भोपाल संभाग भोपाल म0प्र0।
5. उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ जिला भोपाल म0प्र0।
6. डॉ. रणजीत सिंह भदौरिया, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, द्वारा उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ जिला-भोपाल म0प्र0।

संचालक

पशुपालन म.प्र. भोपाल

श



संचालनालय पशुपालन

मध्यप्रदेश, भोपाल

-:: आदेश ::-

क्रमांक .....5538...../स्था-अ/2015-16/ भोपाल,दिनांक...30/5/2015..

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति वर्ष 2015-16 तहत निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्वयं के व्यय पर उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये स्थान पर स्थानान्तरित कर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

स. क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना स्थान	उन स्थानों का नाम जहां स्थानान्तरण चाहा गया है	स्वयं/ प्रशा.
1	2	3	5	6
1.	श्री सुनील कंसोटिया, भृत्य	पशु चिकित्सालय सिराली जिला-हरदा	जिला-रायसेन में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद के विरुद्ध	स्वयं
2.	श्री बाजीराव सुरडकर, पशु परिचारक	उपकेन्द्र बरथून जिला नीमच	जिला-भोपाल में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद के विरुद्ध	स्वयं

वे अपना उपस्थिति प्रतिवेदन संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वरिष्ठता जिले में उपस्थिति दिनांक से मान्य होगी।

टीप :- स्थानान्तरित कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-6-1/2015/एक/9, भोपाल दिनांक 15.4.2015 की कण्डिका-12,12(1), 12(2) में निहित प्रावधान अनुसार स्थानान्तरण आदेश में कार्यमुक्त करने की अवधि एक सप्ताह निर्धारित की गई है। यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयवधि में कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एक तरफा कार्यमुक्त किया जा सकेगा। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि में स्थानान्तरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा, एवं कण्डिका-13 स्थानान्तरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात स्वीकृत किया जावेगा।

( डॉ. आर.के. रोड्डे )

संचालक

पशुपालन म0प्र0 भोपाल